

31/5/2022

अभिलेख उपस्थापित। देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नज्दत शारबा में N.R.No.- 3409460, दिनांक- 4/5/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शारबा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी कुल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित जीलाक पत्र वाइ लोक अदालत में आपली समंजस्य के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाम पत्र वाद
निष्पादन की प्रक्रिया में अभिलेख की कार्यवाही
बंद की जाती है।

लेखापति

31/5/22

नीलाम पत्र पदाधिकारी
याकुलिपा ।